



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032021-225954
CG-DL-E-17032021-225954

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1142]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 2021/फाल्गुन 25, 1942

No. 1142]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 2021/PHALGUNA 25, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2021

का.आ. 1230(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में रिंग रोड के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 48.880 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी हरिद्वार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में रिंग रोड के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 48.880 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम :- उत्तराखंड		जिले का नाम :- हरिद्वार	
क्र.सं.	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति
तालुक का नाम:-हरिद्वार			
गांव का नाम:-देवपुर मुस्तहकम			
1	122	सरकारी	गैर कृषि
2	147	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
3	146	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
4	85	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
5	84	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
6	145	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
7	144	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
8	143	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
9	140	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
10	139	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
11	136	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
12	135	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
13	132	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
14	138	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
15	142 अ	सरकारी नान .जेड ए	कृषि
16	142 अ	सरकारी	गैर कृषि
गांव का नाम:-रोहालकी किशनपुर			
17	223	सरकारी	गैर कृषि

[फा. सं. NHAI/PIU-RRK/55001/Haridwar/Ring Road(LA)/2020/3A1/Corr]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**CORRIGENDUM**

New Delhi, the 16th March, 2021

S.O. 1230(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Ring Road in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 48.880 in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Competent Authority Land Acquisition/Special Land Acquisition Officer Haridwar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Ring Road in the stretch of land from Km. 0.000 to Km. 48.880 in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND.

State:- UTTARAKHAND		District :- HARIDWAR	
S.No	Survey No.	Type of land	Nature of land
Taluk:- Haridwar			
Village:- Devpur mustkam			
1	122	Government	Non- Agriculture
2	147	Government (N.Z.A)	Agriculture
3	146	Government (N.Z.A)	Agriculture
4	85	Government (N.Z.A)	Agriculture
5	84	Government (N.Z.A)	Agriculture

6	145	Government (N.Z.A)	Agriculture
7	144	Government (N.Z.A)	Agriculture
8	143	Government (N.Z.A)	Agriculture
9	140	Government (N.Z.A)	Agriculture
10	139	Government (N.Z.A)	Agriculture
11	136	Government (N.Z.A)	Agriculture
12	135	Government (N.Z.A)	Agriculture
13	132	Government (N.Z.A)	Agriculture
14	138	Government (N.Z.A)	Agriculture
15	142 अ	Government (N.Z.A)	Agriculture
16	142 अ	Government	Non- Agriculture
Village:- Ruhalki Kishanpur			
17	223	Government	Non- Agriculture

[F. No. NHAI/PIU-RRK/55001/Haridwar/Ring Road(LA)/2020/3A1/Corr]

RAJESH GUPTA, Director